

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।
 पत्र संख्या-231 / 33-1 दिनांक, मीरजापुर, अगरता, ०२, 2023
 सेवा में।

अधिशासी अभियन्ता,

पी०एग०जी०एस०वाई०, खण्ड,

लोक निर्गमन पिभाग सोनगढ़।

विषय- Proposal of use 15.1577 ha.(9.4722 ha forest land+5.6855 ha of non forest land) from kaimoor wildlife sanctuary for widening & strengthening of Patwali to Basuhari road from Km. 0.000 to 61.500 under road connectivity project on left wing extremism area (KCPWEPA) in tehsil: Robertsganj, District-Sonebhandra under PMGSY, Utter Pradesh-FP/UP/ROAD/59458/2020.

सन्दर्भ- १-भारत सरकार के पत्र संख्या-८वी./यू.पी./०६/२५१/२२१/एफ.सी. दिनांक ०४-०२-२०२२

२-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-2315/11-सी. दिनांक ०८-०२-२०२२

३-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय(वन्य जीव डिवीजन) जोरदार रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ.न.डब्ल्यू एल-६/१७/२०२३ दिनांक १६-०५-२०२३

४-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-4633/26-11 (पटवाय वसुहारी रोड प्रस्ताव सं०-५९४५८/२०२०) दिनांक २२-०५-२०२३

५- इस कार्यालय का पत्रांक-७४/३३-१ दिनांक १३-०७-२०२३

६- इस कार्यालय का पत्रांक-१३०/३३-१ दिनांक १९-०७-२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र संख्या-०१ व ०२ के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-७४/३३-१ दिनांक १३-०७-२०२३ द्वारा एवं सन्दर्भगत पत्र संख्या-०३ व ०४ के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-१३०/३३-१ दिनांक १९-०७-२०२३ द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

आतएव उपरोक्त क्रम में निमानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, तथा एनिमल पैसेज प्लान तैयार करकर सन्दर्भित पत्र संख्या-०५ व ०६ के अनुक्रम में समस्त शर्तों का अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	वांछित धनराशि का विवरण	धनराशि(रुपये में)	अनियुक्ति
१	२	३	४	५
१	कैमूर वन्य जीव	क्षतिपूरक वनीकरण	46,46,000.00	ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड दिल्ली
२	प्रभाग	एन०पी०वी०	5,19,06,217.00	
३		सड़क की पटरी पर ट्रिकगाड़ में वृक्षारोपण	15,80,883.00	
४		वन सीमा सर्व/सीमा स्थापना कार्य	3,77,128.00	
५		मिटिगेशन मेजर्स की धनराशि	57,00,000.00	
६		वृक्षों के छपान हेतु	4,462.00	

भवदीय्

(अराधन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी,
 कैमूर वन्य जीव विभाग, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या- ७५ /३३-१ दिनांक, मीरजापुर, जुलाई ३, २०२३.
सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड

लोक निर्माण विभाग सोनभद्र।

विषय: जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (वैनेज सं० ०.००० से ६१.५००तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित ३४.६७२५ हेठो आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक १११४ वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित १०.६२हेठो आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक १३०८ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक ८वी/यूपी०/०६/२५१/२०२१/एफ०सी०/७१५ दिनांक ०४.०२.२०२२, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०० लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या-२३१५/११-सी-एफ०पी०/यूपी०/रोड/५९४५८/२०२० दिनांक ८.०२.२०२२ व प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र का पत्रांक ३०५५/ओबरा/१५भ०ह० दिनांक १६-०६-२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक, संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक ८वी/यूपी०/०६/२५१/२०२१/एफ०सी०/७१५ दिनांक ०४.०२.२०२२, द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में विषयक प्रस्ताव में नोडल अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र का पत्रांक ३०५५/ओबरा/१५भ०ह० दिनांक १६-०६-२०२३ द्वारा ओबरा वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में प्रभावित वन भूमि से सम्बन्धित वांछित धनराशि व बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र का पत्रांक ३०६२/ओबरा/१५भ०ह० दिनांक १७-०६-२०२३ द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक ४.०२.२०२२ के कम में वांछित धनराशि एवं बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध के कम में आप द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र को अवगत कराया गया कि वर्तमान में आवंटित बजट लगभग ५.५० करोड़ है तथा यह भी अनुरोध किया गया कि जो वन भूमि कैमूर संरक्षित क्षेत्र में पड़ रही है, उस क्षेत्र में कार्य किये जाने की अनुमति राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही, दिये जाने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में किया गया है, जिस कारण वश कैमूर वन्य जीव विहार से आच्छादित क्षेत्र में वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बजट के अभाव तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि अभी वर्तमान में कार्य ओबरा वन प्रभाग से आच्छादित वन क्षेत्र में ही होना है। इसलिए आपके द्वारा अनुरोध किया गया कि शिर्फ ओबरा वन प्रभाग के आच्छादित क्षेत्र से सम्बन्धित क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान कराया जाय और ओबरा वन प्रभाग से आच्छादित क्षेत्र पर ही कार्य किये जाने की अनुमति जारी किया जाय।

आपके द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के कम में ओबरा वन प्रभाग से आच्छादित क्षेत्र से सम्बन्धित क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन०पी०वी० की गणना कर संशोधित मांग पत्र इस शर्त के साथ प्रेषित किया गया कि आप द्वारा अवशेष धनराशि के बजट का आवंटन हेतु अनुरोध किया जायेगा तथा आपके द्वारा वन क्षेत्र में कार्य किये जाने के पूर्व अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु वचनबद्धता दी जायेगी।

उपरोक्त के कम में कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक ८वी/यूपी०/०६/२५१/२०२१/एफ०सी०/७१५ दिनांक ०४.०२.२०२२ द्वारा कुल ३१ शर्तों के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

Ay

क्रमांक	भारत सरकार के पत्र संख्या-४८ी/ यूपी०/०६/२५१/ २०२१/एफ०सी०/७१५ दिनांक-०४.०२.२०२२ द्वारा लगायी गयी शर्त	3
1	2	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि के कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग के नाम हस्तानान्तरण करानें का कष्ट करें।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि 45.2925हें के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि में से ग्राम-ग्राम-रामपुर में 33.7437हें० व ग्राम-देवहार में 4.2263हें० कुल 37.97हें० क्षेत्र सोनमढ वन प्रभाग 9045 व पैच नं० १ में 2.700, पैच नं० २ में 1.518, पैच नं० ३ में 1. तथा ग्राम-पेढ में पैच नं० ४ में 1.20हें० कुल 7.3225हें० कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्यालय के पत्र दिनांक- ०३.०३.२०२२ के अनुसार कैमूर वन्य जीव प्रभाग की अन्तर्गत है। प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्र दिनांक- ०३.०३.२०२२ के अनुसार कैमूर वन्य जीव प्रभाग की अन्तर्गत प्राप्त कुल 7.3225हें० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 49,65,000.०० रुपये, (उन्नास लाख पैसठ हजार रुपये मात्र) ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an equivalent area of 45.2925 ha. non forest land 4.2263 ha. in village Devhar. 2.7 ha. in Perh Patch-1, 1.518 ha. in Perh Patch-2, 1.9045 ha. in Perh Patch-3, 1.2 ha. in Perh Patch-4. 33.7437 ha. in village Rampur, Range Robertsganj, District - Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि 45.2925हें के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि में से ग्राम-ग्राम-रामपुर में 33.7437हें० व ग्राम-देवहार में 4.2263हें० कुल 37.97हें० क्षेत्र सोनमढ वन प्रभाग 9045 व पैच नं० १ में 2.700, पैच नं० २ में 1.518, पैच नं० ३ में 1. तथा ग्राम-पेढ में पैच नं० ४ में 1.20हें० कुल 7.3225हें० कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्यालय के पत्र दिनांक- ०३.०३.२०२२ के अनुसार कैमूर वन्य जीव प्रभाग की अन्तर्गत है। प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्र दिनांक- ०३.०३.२०२२ के अनुसार कैमूर वन्य जीव प्रभाग की अन्तर्गत प्राप्त कुल 7.3225हें० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 49,65,000.०० रुपये, (उन्नास लाख पैसठ हजार रुपये मात्र) ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण/अमलदरामद कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्राप्त गैर वन भूमि का संरक्षित/आरक्षित वन घोषित कराया जा सके।
5	The cost compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का सर्वेक्षण सीमांकन एवं स्थायी स्तम्भों का निर्माण हेतु वर्तमान मजदूरी दरों के आधार पर बिन्दु संख्या ३ में उल्लिखित धनराशि ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 45.2925 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09.05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pl.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले 45.2925हें० वन भूमि का भारत सरकार के पत्र दिनांक-०६.०१.२०२२ द्वारा निर्धारित दर मु ९,५७,७८०.०० रुपये (नौ लाख सन्तावन हजार सात सौ अस्सी रुपये मात्र) प्रति हें० की दर से कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव विहार के अन्दर पड़ने वाले १८.०० हें० वन भूमि के सम्बन्ध में एन०पी०वी० की गणना के अनुसार कुल ५,१९,०६,२१७.०० (पाँच करोड़ उन्नीस लाख छ हजार दो सौ सतरह रुपये मात्र) ई-पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कैम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष एन०पी०वी० की धनराशि के अतिरिक्त, माठ सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश/ भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यदि कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा, से सम्बन्धित वयनवद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

	to this effect.									
8	All the procedural formalities should be followed in view of the Model Code of conduct enforced due to upcoming U.P. State Assembly Election.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आगामी यूपी० विधान सभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन किया जायेगा।								
9	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित कैमूर वन्य जीव प्रभाग में प्रभावित कुल 194 वृक्षों का गणना/छपान /पातन/दुलान वन विभाग की निगरानी में किया जाना है। प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या-77/16-57 दिनांक-07.08.2013 से छपान हेतु निर्धारित 23.00/प्रति वृक्ष पौध कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश सहित निर्धारित किया गया है। अतः निमानुसार निर्धारित धनराशि का बैंक ड्रापट उपलब्ध कराने का कष्ट करें :—								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रभाग का नाम</th> <th>प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या</th> <th>गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पेड़</th> <th>गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर</td> <td>194</td> <td>23/-</td> <td>4,462.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि रु 4,462.00/- (मु० चार हजार चार सौ बासठ रुपये मात्र) का बैंक ड्रापट प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक मीरजापुर शाखा पर देय हो उपलब्ध कराया जाय।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रभावित वृक्षों के पातन एवं दुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि उ०प्र० वन निगम रेनकूट द्वारा मौग की जायेगी उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय।</p>	प्रभाग का नाम	प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या	गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पेड़	गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर	194	23/-	4,462.00
प्रभाग का नाम	प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षों की कुल संख्या	गणना/छपान हेतु निर्धारित दर प्रति पेड़	गणना/छपान हेतु कुल निर्धारित धनराशि							
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर	194	23/-	4,462.00							
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस शर्त के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।								
11	Speed regulation signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Area.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सड़क के किनारे वन्य जीव विहार/वन क्षेत्र के नियमित अंतराल पर साईन बोर्ड लगाये जायेंगे।								
12	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी०डब्ल०एल०डब्ल०/एन०बी०डब्ल०एल०/एफ०एस०सी० /आर०ई०सी० के अनुसार अनुमति लिया जायेगा।								
13	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनुमति लिया जायेगा।								
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि बिना केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के प्रस्ताव के लेआउट प्लान में बदलाव नहीं किया जायेगा।								
15	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।								

16	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग या वन निगम या वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य श्रोत से खरीदकर पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, वैकल्पिक ईधन मजदूरों को दिया जायेगा।
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground of the project cost as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि हस्तान्तरित वन भूमि की सीमा निर्धारण सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार परियोजना के लागत के अनुसार किया जायेगा।
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि परियोजना कार्य को निष्पादित हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नयां मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा।
19	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन में हस्तान्तरित वन भूमि, लीज की अवधि तक मान्य होगी।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उददेश्य के अलावा किसी अन्य उददेश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि हस्तान्तरित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
22	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.	इस शर्त के अनुपालन में हस्तान्तरित वन भूमि का के०एम०एल० फाईल, सी०ए० क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू०एल०एम०पी० क्षेत्र को कार्य शुरू होने से पहले आवश्यक विवरण के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
23	Site inspection shall be done before issuing approval for Stage-II.	इस शर्त के अनुपालन में स्टेज II हेतु अनुमोदन जारी करने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जायेगा।
24	NBWL clearance needs to be submitted.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि एन०बी०डब्लू०एल० वलीयरेन्स प्राप्त कर जमा किया जायेगा।
25	An undertaking needs to be submitted by user agency for abiding by all conditions imposed in Wildlife clearance.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्यजीव मंजूरी में लगाई गयी सभी शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
26	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected area (P.A) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in Protected rear (P.A) till NBWL clearance is obtained.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना एन०बी०डब्लू०एल० से मंजूरी प्राप्त किये संरक्षित क्षेत्र में कोई कार्य शुरू न करने हेतु वनबद्धता उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना एन०बी०डब्लू०एल० के मंजूरी के संरक्षित क्षेत्र में कोई कार्य निष्पादित न किया जाय।
27	If clearance from NBWL is not granted then this principle approval shall stand revoked impromptu and no claim shall be made by the user agency for works done in area outside Protected Area (P.A)	इस शर्त के अनुपालन में यदि एन०बी०डब्लू०एल० द्वारा यदि मंजूरी नहीं दी जाती है तो यह सैद्धान्तिक रूपीकृति निरस्त माना जायेगा तथा संरक्षित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।
28	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस शर्त के अनुपालन में किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-11-42 / 2017-एफ०सी० दिनांक-29.01.2018 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के हित में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

	conservation, protection and development of forest & wildlife.	द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred 2 deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्त एजेन्सी से प्राप्त सभी निधियों की धनराशि कैम्पा निधि में जमा किया जायेगा।
31	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या ई-पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 द्वारा वांछित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि व बिन्दु संख्या 6 में एन०पी०वी० की धनराशि व बिन्दु संख्या 9 में छपान हेतु वांछित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	प्रभाग का नाम	वांछित धनराशि का विवरण	धनराशि (रुपये में)
1	कैमूर वन्य जीव प्रभाग	क्षतिपूरक वनीकरण (रु०पी०५०)	49,65,000.00
2	कैमूर वन्य जीव प्रभाग	एन०पी०वी०	5,19,06,217.00
3	कैमूर वन्य जीव प्रभाग	वृक्षों की छपान हेतु	4,462.00
		योग-	5,68,75,679.00

उक्त के कम में भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 3 द्वारा वांछित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि मु० 49,65,000.00 रुपये, बिन्दु संख्या 6 द्वारा वांछित एन०पी०वी० की धनराशि मु० 5,19,06,217.00 रुपये कुल धनराशि मु० 5,68,71,217.00 (पाँच करोड़ अड़सठ लाख इक्कहत्तर हजार दो सौ सत्रह मात्र) रुपये ई-पोर्टल <https://parivesh.nic.in/> के माध्यम से कैम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करे तथा बिन्दु संख्या 9 द्वारा वांछित प्रब्लगत प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान हेतु धनराशि रु० 4462.00 (चार हजार चार सौ बासठ रुपये मात्र) का बैंक डापट प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक मीरजापुर शाखा पर देय हो, उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में मय संलग्नक सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

संख्या ७५ अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव परिचयीक्षेत्र उ०प्र० कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन् प्रभाग-सोनभद्र एवं ओबरा वन् प्रभाग सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी सोनभद्र को सूचनार्थ उष्टित।

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।